राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
NATIONAL BOOK TRUST, INDIA
Ministry of Education, Government of India
nbt.india
एकः सूते सकलम्
नेहरू भवन, 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज़-II
वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
दूरभाष : 91-11-26707700, 9990666406,9990363656, ई-मेल : office.nbt@nic.in
वेबसाइट : www.nbtindia.gov.in

पुस्तक प्रोन्नयन गतिविधियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता योजना वर्ष 2023-24

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत (रा.पु.न्यास) निम्नलिखित पुस्तक प्रोन्नयन गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता हेतु एक वित्तीय योजना कार्यान्वित करता है:

(क) भारत में पुस्तक प्रोन्नयन विषयों पर केंद्रित पुस्तक मेलों/लेखकों/प्रकाशकों/पुस्तक विक्रेताओं से संबधित सम्मेलनों का आयोजन करना।

(ख) पुस्तक मेलों/साहित्यिक महोत्सवों का आयोजन करना।

(ग) प्रकाशन और पुस्तक प्रोन्नयन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित विषयों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।

(घ) लेखकों/प्रकाशकों/मुद्रकों/पुस्तक विक्रेताओं की वार्षिक सभाओं/सम्मेलनों का आयोजन करना।

(ड.) पुस्तक उद्योग से संबद्ध शोध/सर्वेक्षण करना।

(च) पुस्तक उद्योग के विकास/पुस्तकों के प्रोन्नयन/पठन संस्कृति आदि के लिए अनुकूल किसी भी अन्य गतिविधि का आयोजन करना।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान के लिए निम्नलिखित मूल निबंधनों एवं शर्तों पर आवेदन-पत्र आमंत्रित करता है :

1. गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन
   (क) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत हो अथवा
   (ख) उस समय लागू कानून के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास हो अथवा
   (ग) लाइसेंस प्राप्त धर्मार्थ कंपनी, कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अधीन हो अथवा
   (घ) विश्वविद्यालय/उच्च प्रशिक्षण संस्थान हो
2. संगठन भारत सरकार के गैर सरकारी संगठन-दर्पण पोर्टल www.ngodarpan.gov.in पर पंजीकृत हो एवं उसकी यूनिक आईडी हो।
3. स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को पुस्तक प्रोन्नयन गतिविधियों से संबंधित, सम्मेलनों/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं/वार्षिक सम्मेलनों, पुस्तक मेले, साहित्यिक महोत्सवों आदि के आयोजन के संबंध में सहायता योजना।

4. संगठन न्यूनतम तीन वर्ष से अस्तित्व में हो।

5. इसके अतिरिक्त केंद्र/राज्य सरकारा द्वारा मान्यता प्राप्त साहित्यिक निकाय, सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त अकादमियां/शैक्षिक संस्थान भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।

6. ऑनलाइन आवेदन-पत्र स्कैन किए हुए संलग्नकों सहित राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की वेबसाइट पर को अपलोड करके प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति के पश्चात संलग्नकों के सहित आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संलग्नकों सहित निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत को प्रेषित किया जाएगा।

7. राशि का भुगतान किए जाने से पूर्व संगठन द्वारा अनुदान के संबंध में एक बाँड निष्पादित करना होगा। अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन को केंद्र/राज्य सरकार के किसी भी अन्य प्राधिकरण से प्राप्त हुई अन्य आर्थिक सहायता के स्रोतों के संबंध में वचन-पत्र देना होगा।

8. संगठन को नोटरी पब्लिक द्वारा नोटरीकृत यह वचन-पत्र देना होगा कि अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिस उद्देश्य के लिए उसे स्वीकृत किया गया है। ऐसा करने में विफल होने पर संगठन न्यास के अनुदान की पूरी राशि दंडात्मक ब्याज सहित, जैसे मानदंड न्यास तय करे, वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

9. संगठन अपने स्वयं के स्रोतों से वास्तविक व्यय के न्यूनतम 25% के समान राशि का योगदान देगा, जिसमें विफल होने पर समानुपातिक राशि न्यास को वापस करनी होगी।

10. प्रति गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन के प्रति वर्ष अधिकतम केवल दो प्रस्तावों पर ही विचार किया जाएगा।

11. वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों का राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के दो अधिकारियों अथवा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक/नामित प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

12. अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को तीन निमंत्रण पत्र प्रेषित करेंगे ताकि न्यास उनकी गतिविधियों की निगरानी कर सके।

13. यह योजना वरीयत: आदिवासी, पिछड़े व सीमावर्ती क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में गतिविधियों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। गतिविधियों के संचालन के लिए राजकीय विद्यालयों/राजकीय शैक्षिक संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी। वे अपने आवेदन पत्र के साथ राजकीय विद्यालय/शैक्षिक संस्थान की सहमति प्रस्तुत करेंगे।

14. अनुदान के लिए पृथक् खाते रखे जाएंगे और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा मांगी गई कोई भी जानकारी प्राप्तकर्ता संगठन द्वारा निर्धारित समय के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

15. अनुदान की स्वीकृति के एक वर्ष के अंदर अथवा कार्यक्रम पूरा हो जाने की तिथि से 90 दिन के अंदर, इनमें से जो पहले हो उस तक, किसी सनदी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित खातों के लेखा परीक्षा विवरण के साथ यह प्रमाणित करने वाला उपयोगिता प्रमाणपत्र, कि अनुदान राशि का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य के लिए किया गया है, प्रस्तुत करना होगा।

16. गतिविधि/कार्यक्रम की टंकित/मुद्रित रिपोर्ट की प्रतिलिपि, फोटो सहित मूल्यांकन रिपोर्ट, कार्यक्रम की संगठन, प्रतिभागियों और पुस्तक उद्योग के लिए उपयोगिता का उल्लेख करते हुए गतिविधि के आयोजन की तिथि से एक माह के अंदर न्यास को भेजी जाएगी।
17. इस योजना के अंतर्गत पिछली देनदारियों अथवा ऋणों हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा।
18. न्यास का किसी भी अनुदान के आवेदन पत्र को किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।
19. संगठन भारत के समस्त नागरिकों के लिए जाति, पंथ, वंश, धर्म, भाषा, जातीयता, रंग एवं लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के खुला हुआ हो।
20. भारत से बाहर के विदेशी नागरिकों को निमंत्रण राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की पूर्व स्वीकृति के पश्चात ही दिया जाएगा।
21. अनुदान, संगठन की 03 वर्ष की लेखापरीक्षित रिपोर्ट सहित बिंदु संख्या 9 के अनुसार अपेक्षित समस्त अभिलेखों की प्रस्तुति के साथ सशर्त है।

निबंधनों एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन-पत्र सहायक निदेशक (वित्तीय सहायता), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज़-II वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 से किसी भी कार्य दिवस को प्रात: 9.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत की वेबसाइट www.nbtindia.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तृत दिशा-निर्देश और आवेदन-पत्र हमारी वेबसाइट www.nbtindia.org.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

स्वैच्छिक संगठन, जो प्रपत्र में उल्लिखित सभी निबंधनों एवं शर्तों को पूरा करते हैं, अपने आवेदन-पत्र निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, 5, इंस्टीट्यूयनल एरिया, फेज़-II वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 के पते पर प्रस्तुत कर सकते हैं जो न्यास कार्यालय में अधिकतम दिनांक **31.03.2023** तक पहुँच जाने चाहिएँ।

अनुलग्नक-I

आवेदन-पत्र

पुस्तक प्रोन्नयन गतिविधियों से संबद्ध स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को संगोष्ठियों/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं/वार्षिक सम्मेलनों, पुस्तक मेलों, साहित्यिक उत्सवों आदि के आयोजन के लिए सहायता योजना।

<u>वित्तीय-वर्ष के लिए आवेदन-पत्र</u>

1. गैर सरकारी संगठन का नाम (जैसा नीति आयोग के पोर्टल पर है) :

2. गैर सरकारी संगठन की यूनिक आईडी संख्या (जैसी नीति आयोग के पोर्टल पर पंजीकृत है) :

3. पैन संख्या **(कृपया पैन कार्ड की प्रतिलिपि अपलोड करें)** :

4. संगठन के पंजीकृत कार्यालय का डाक का पता और संपर्क विवरण :
   गाँव/शहर/कस्बा :
   जिला :
   राज्य :
   मोबाइल नंबर :
   दूरभाष :
   ई-मेल का पता :
   फ़ैक्स :

5. संगठन का संक्षिप्त इतिहास, उद्देश्य और गतिविधियां (न्यूनतम 100 से 150 शब्दों में) :

6. क्या संगठन का कार्यालय स्वयं के भवन में स्थित है या किराए के भवन में?
   (कृपया परिसर के नवीनतम बिजली/दूरभाष के बिल की प्रतिलिपि अपलोड करें)

7. प्रस्ताव के लिए गैर सरकारी संगठन के अधिकृत व्यक्ति का नाम जो अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों और भविष्य के पत्राचार पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होगा।

- नाम :
- पदनाम :
- पता :
- **कृपया हस्ताक्षर अपलोड करें**
- **कृपया फोटो अपलोड करें**
- **कृपया आईडी प्रूफ (आधार/वोटर कार्ड/पासपोर्ट) अपलोड करें**

8. परियोजना के लिए डिजिटल प्रस्तुति के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव :

9. गैर सरकारी संगठन के पंजीकरण के विवरण (**कृपया पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड करें) :**

(भारतीय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) के अधीन)

(क) पंजीकरण संख्या

(ख) पंजीकरण की दिनांक

(ग) समाप्ति की दिनांक

10. परियोजना की प्रकृति :

(क) पुस्तक मेला/साहित्य महोत्सव

(ख) सेमिनार

(ग) वार्षिक सम्मेलन

(घ) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

- दिनांक
- स्थान
- अवधि

(स्थान एवं अवधि में परिवर्तन के लिए न्यास का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य होगा।)

11. क्या गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन का उसके नाम से सक्रिय बैंक खाता है (हां/नहीं)

यदि हां तो खाता संख्या :

नाम :

बैंक का नाम :

पता :

आईएफएससी कूट :

एमआईसीआर कूट :

(कृपया निरस्त किया हुआ चेक अपलोड करें)

12. संगठन के लक्ष्य और गतिविधियां (गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन के संस्थापन प्रलेख/उपविधि में वह परियोजना समाहित हो जिसके लिए अनुदान मांगा गया है) **(संस्थान प्रलेख/उपविधि अपलोड करें)**

13. क्या परियोजना व्यय कोई भाग किसी अन्य सरकारी, गैर सरकारी या विदेशी स्रोत द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है या करवाए जाने की संभावना है? यदि हां, तो उसकी मात्रा और एजेंसी के नाम का उल्लेख करें।

14. क्या संगठन को किसी भी समय केंद्र/राज्य सरकार या उसके अधीन किसी संस्थान द्वारा काली सूची में डाला गया है और क्या वह अब भी काली सूची में है? (हां/नहीं)

15. विविध लागत मदों के विस्तृत औचित्यों सहित परियोजना के बजट अनुमान। **(कृपया पृथक् बजट अपलोड करें)**

16. अनुरोध की गई अनुदान राशि (रुपये में ....)

17. संसाधन जुटाने के लिए संगठन की क्षमता (स्रोतों/राशि का उल्लेख करें)

18. गत तीन वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित लेखे **(कृपया अपलोड करें)**

19. गत तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्टें **(कृपया अपलोड करें)**

20. गत तीन वर्ष की आयकर विवरणियां **(कृपया अपलोड करें)**

- अब तक अपलोड किए गए प्रलेख
    1. संगठन का पेन कार्ड
    2. गैर सरकारी संगठन के पंजीकृत कार्यालय परिसर का बिजली/दूरभाष का बिल
    3. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आईडी प्रूफ
    4. गतिविधि क्षेत्र श्रेणी प्रमाण-पत्र (यदि यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में है)
    5. पंजीकरण प्रमाण-पत्र (भारतीय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन)
    6. निरस्त किया हुआ चेक
    7. गैर-सरकारी संगठन के संस्थापन प्रलेख/उपविधि
    8. परियोजना का पृथक् बजट
    9. गत तीन वर्ष के लेखा परीक्षित लेखे
    10. गत तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्टें
    11. गत तीन वर्ष की आयकर विवरणियां

नाम एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
दूरभाष संख्या :
दिनांक :
स्थान :

(ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने के पश्चात कृपया आवेदन पत्र और संलग्नकों का प्रिंट आउट लें और निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज़-II, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 को भेजें।)